न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ़ (जिला श्रीगंगानगर)

पीठासीन अधिकारी श्री कन्हैयालाल सोनगरा (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 111 / 2022
GCMS CASE NO-2022/111

साहबराम पुत्र सोहनलाल जाति बिश्नोई निवासी मानकसर तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राज.।

– अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राज.।

–

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत

उपस्थितिः–

1. श्री कुलविन्द्र सिंह अधिवक्ता अपीलांट
2. राजपैरोकार, तहसीलदार सूरतगढ

::–– निर्णय ––:: दिनांक 12.08.2024

अपील के संक्षेप मे तथ्य निम्न है।

1. अदालत मातहत श्रीमान तहसीलदार साहब सूरतगढ़ दिनांक 24.08.2018 जिसकी रूह से प्रार्थी/अपीलान्ट का पर्चा खतौनी में चक 7 एस.एल.डी. के पत्थर नं. 69/28 के किला नं. 8 व 11 ना दर्शाते हुए जारी किया गया है। अपीलान्ट को रोही अमरपुरा जाटान के खसरा नम्बर 237 में 25.00 बीघा रकबा टी.सी. आंवटन होकर कब्जा काश्त में चला आ रहा था। बाद में खसरों के समय ही उक्त रकबा के खातेदारी अधिकार अपीलान्ट के नाम जारी हो चुके है। उक्त जैर अपील रकबा चकबन्दी के दौरान चक 7 एस.एल.डी. के पत्थर नं. 69/28 के किला नं. 1 ता 4, 8 ता 11 में 8.00 बीघा पैमूद हुआ। उक्त रकबा की चकबन्दी की पुनः पर्चा खतौनी तैयार करते समय अपीलान्ट के चक 7 एस.एल.डी. के पत्थर नं. 69/28 के किला नं. 8 व 11 को ना दर्शाते हुये गलत फिट कर दिया जो मुताबिक कब्जा के रकबा फिट नही किया गया है। उक्त जैर अपील रकबा किला नं. 8 व 11 अपीलान्ट के कब्जा काश्त में है। पर्चा खतौनी तैयार करते समय गलत फिट कर दिये वह पुनः अपीलान्ट के नाम जोड़ा जावे। इस प्रकार बिना कब्जा काश्त के जांच के गई फिटिंग का निर्णय निरस्त किये जाने योग्य हैं। अदालत मातहत ने पटवारी रिपोर्ट आने के बाद अपीलान्ट को अपना साक्ष्य सबूत व अपना पक्ष रखने का अवसर ही नहीं दिया व एकतरफा तौर पर ही निर्णय कर दिया जैरअपील रकबा अपीलान्ट का खातेदारी रकबा है व पिछले 20–25 वर्षो से कब्जा काश्त में चला आ रहा है। प्रार्थी के कब्जा काश्त के रकबा से पर्चा खतौनी तैयार करते समय प्रार्थी के नाम के किला नं. 8 व 11 फिट न करते हुए आदेश पारीत किया है व उनकी जांच गिरदावर द्वारा करने के बाद तहसीलदार द्वारा सत्यापित की जाती हैं। एक सरकारी साक्ष्य को न मानकर महज हल्का पटवारी द्वारा की गई रिपोर्ट को

अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ़ (जिला–श्रीगंगानगर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Kanhaiya Lal Sonagara
Date: 2024.08.27 13:05:12 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with OKEN Scanner

मानकर अदालत मातहत ने न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत निर्णय दिया अपीलान्ट ने व उसके परिवार ने कड़ी मेहनत व भारी खर्चा लगाकर जैर अपील रकबा को उपजाऊ बनाया है तथा अपीलान्ट व अपीलान्ट के परिवार का जीवन व्यापन का सहारा मात्र जैर अपील रकबा ही है। इसलिए भी अपील स्वीकार योग्य है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया व रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया।

सर्वप्रथम धारा 5 मियाद प्रार्थना पत्र परबहस सुनी गई वकील अपीलांट ने कथन किया कि अदालत मातहत ने निर्णय करने से पूर्व दिनांक 24.08.2018 को अदालत में उपस्थित होने का कोई नोटिस नहीं दिया व न ही निर्णय करने के बाद ही अपीलान्ट को कोई सूचना दी गई अपीलान्ट पारिवारिक परिस्थितियो के चलने तहसील हाजा में नही आ सका अब जब अपीलान्ट अपने रकबा की पटवारी हल्का से जमाबन्दी लेने के लिये आया तो पहली बार पता चला की अपीलान्ट के नाम खातेदारी रकबा में 2.00 बीघा रकबा कम है। इस पर अपीलान्ट ने वकील के मार्फत प्रार्थना पत्र का पता लगाने की कार्यवाही की तो काफी समय बाद पता लगा कि दिनांक 24.08.2018 की पर्चा खतौनी में किला नं. 8 व 11 का रकबा फिट ही नही किया गया है। तो अपीलान्ट ने उसी दिन पर्चा खतौनी की नकल प्राप्ति का प्रार्थना पत्र पेश किया व पर्चा खतौनी की नकल प्राप्त होने के बाद गांव जाकर अपील करने के लिए खर्चा व वकील की फीस का बन्दोबस्त करके दिनांक 15.09.2022 को बिना कोई देरी किये अपील प्रस्तुत की जा रही हैं जो फैसले के ज्ञान से अन्दर मियाद प्रस्तुत हैं। अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को माफ कराने के लिए मियाद कानून की दफा पांच का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत हैं इसलिए अपील फैसले के ज्ञान से अन्दर मियाद प्रस्तुत की जा रही हैं।

राजपैरोकार तहसीलदार सूरतगढ ने कथन किया कि अपीलांट को सुनवाई का पूर्ण अवसर दिया जाकर निर्णय पारित किया गया है, अपीलांट द्वारा जानबूझकर अपील मियाद बाहर पेश की है अतः प्रार्थना पत्र निरस्त फरमाया जावे।

प्रार्थना पत्र पर बहस उभय पक्ष सुनी गई अपीलांट्स ने प्रार्थनापत्र में देरी का जो कारण बताया है वह संतोष जनक है। प्रकरण में कानूनी बिन्दु निहित है। इसलिए हम हस्तगत प्रकरण का निस्तारण तकनीकी बिन्दुओं के आधार पर करने की बजाय गुणावगुण पर करना युक्तियुक्त एवं न्यायोचित समझते है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा अपील पेश करने में हुई देरी को क्षमा किया जाकर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

तत्पश्चात गुणावगुण के आधार पर बहस सुनी गई। वकील अपीलांट ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलान्ट को रोही अमरपुरा जाटान के खसरा नम्बर 237 में 25.00 बीघा रकबा टी.सी. आंवटन होकर कब्जा काश्त में चला आ रहा था। बाद में खसरों के समय ही उक्त रकबा के खातेदारी अधिकार अपीलान्ट के नाम जारी हो चुके है। उक्त जैर अपील रकबा चकबन्दी के दौरान चक 7 एस.एल.डी. के पत्थर नं. 69/28 के किला नं. 1 ता 4, 8 ता 11 में 8.00 बीघा पैमूद हुआ। उक्त रकबा की चकबन्दी की पुनः पर्चा खतौनी तैयार करते समय अपीलान्ट के चक 7 एस. एल.डी. के पत्थर नं. 69/28 के किला नं. 8 व 11 को ना दर्शाते हुये गलत फिट कर

Signature Not Verified

Digitally signed by Kanhaiya Lal Songara
Date: 2024.08.27 18:05:12 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with OKEN Scanner

दिया जो मुताबिक कब्जा के रकबा फिट नही किया गया है। उक्त जैर अपील रकबा किला नं. 8 व 11 अपीलान्ट के कब्जा काश्त में है। जैरअपील आदेश दिनांक 24.08.2018 तहसीलदार सूरतगढ़ निरस्त किया जावे व अपीलान्ट की अपीलान्ट की अपील आंशिक स्वीकार करते हुये अपीलान्ट को साक्ष्य व सबूत व सुनवाई का पूर्ण अवसर दिया जाकर अपीलान्ट के कब्जा काश्त के किला नं. 8 व 11 की भूमि पुनः पर्चा खतौनी में अपीलान्ट के नाम फिट किये जाने का आदेश तहसीलदार सूरतगढ़ को दिया जावे।

पैरोकार राज ने कथन किया कि अपीलांट ने जिस जैर अपील आदेश बाबत् अपील पेश की है उस आदेश में स्पष्ट रूप से अंकित है कि स्तम्भ 1 से 10 तक में कोई आपत्ति हो तो दिनांक 24.8.2018 तक स्थान सूरतगढ पर प्रमाणित दस्तावेज के साथ प्रस्तुत करें अपीलांट द्वारा इस पर कोई आपत्ति सम्बंधित प्रमाणित दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया। इस प्रकार जैर अपील निर्णय नियमानुसार सही पारित किया गया है अतः अपील अपीलांट निरस्त की जावे।

बहस उभयपक्ष सुनी गई एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया जिससे पाया कि प्रकरण अपीलांट साहबराम को रोही अमरपुरा जाटान के खसरा नम्बर 237 में 25.00 बीघा रकबा टी.सी. आंवटन होकर खातेदारी अधिकार अपीलान्ट के नाम से जिला कलक्टर श्रीगंगानगर द्वारा जारी हुए। उक्त रकबा की चकबंदी लागू होने के उपरांत तहसीलदार भू.अ. एवं सहायक भू प्रबंधक अधिकारी सूरतगढ द्वारा चक 7 एस.एल.डी. के पत्थर नं. 69/28 के किला नं. 1 ता 4, 8 ता 11 में 8.00 बीघा पैमूद हुआ एवं शेष 17 बीघा रकबा चक 8 एसएलडी में पैमूद हुआ। तत्पश्चात तहसीलदार भू.अ.सूरतगढ द्वारा उक्त रकबे की पुनः पर्चा खतौनी जारी करते समय चक 7 एस.एल. डी. के पत्थर नं. 69/28 के किला नं. 1 ता 4, 9, 10 में 6.00 बीघा पैमूद कर दिया एवं शेष रकबा अन्य में पैमूद कर दिया गया। पत्रावली के अवलोकन से पाया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट को साक्ष्य/सुनवाई हेतु समुचित अवसर प्रदान किया गया है। तहसीलदार सूरतगढ द्वारा पारित निर्णय विधिनुसार किया गया है जिसमें किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप इस न्यायालय द्वारा किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है अतः अपील निरस्त किया जाना उचित समझते है।

अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायलाय तहसीलदार (भू0अ0) एवं सहायक भू प्रबंधक अधिकारी सूरतगढ़ द्वारा पारित निर्णय यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रति अदालत मातहत को पालनार्थ भिजवाई जावे पत्रावली मिसल फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 12.08.2024 को खुले न्यायालय में मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर सुनाया गया।

(कन्हैयालाल सोनगरा)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़

अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सूरतगढ़ (जिला-श्री गंगानगर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Kanhaiya Lal Songara
Date: 2024.08.27 13:05:12 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with OKEN Scanner